कार्यालय – जिलाधिकारी, देहरादून
जनपद देहरादून

पत्रांक 2018/ दिनांक 27/12/, 2018

वनाधिकार अधिनियम--2006 के अन्तर्गत जनजातीय व्यक्ति एवं पारम्परिक वन निवासी हेतु गठित जिलास्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 19/12/18.........को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वनाधिकार अधिनियम –2006 के अन्तर्गत गठित जिलास्तरीय समिति में जनपद देहरादून के देहरादून वन प्रभाग अन्तर्गत थानो रेंज की सौंग–1 नदी, 202 है0 में उपखनिज चुगान का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया जिस हेतु 202 है0 भूमि वन विभाग से उत्तराखण्ड वन विकास निगम को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिकी कार्य हेतु सम्बन्धित ग्राम सभा/ग्राम पंचायत एवं उपखण्ड समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गयी है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एवं संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उप जिलाधिकारी सदर देहरादून की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त 202 है0 भूमि जो कि वन विभाग के थानो रेंज के अन्तर्गत आती है, पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

उपजिलाधिकारी, सदर देहरादून की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी	प्रभागीय वनाधिकारी,	जिलाधिकारी,
देहरादून	देहरादून वन प्रभाग	देहरादून
	प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग, देहरादून	जिलाधिकारी देहरादून

प0सं0 ..../...................................../दिनांक

प्रतिलिपिः– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
देहरादून
जिलाधिकारी
देहरादून

प्रारुप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Office of the District Collector Dehradun

Government of Uttarakhand

No- 2018 Dated- 27/12/18

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **202 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Uttarakhand Forest Development Corporation** (name of user agency) for **Extraction of RBM in Song-1 River** (purpose for diversion of forest land) in **Dehradun** district falls within jurisdiction of **Nakronda, Balawala, Nathuwala, Soda-Saroli & Barasi grant** village (s) in **Dehradun** tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **202 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 2 annexure....

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature

जिलाधिकारी
देहरादून

(Full name and official seal of the District Collector)

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Office of the District Collector Dehradun

Government of Uttarakhand

No- 2018 Dated- 27/12/18

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **202 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Uttarakhand Forest Development Corporation** (name of user agency) for **Extraction of RBM in Song-1 river** (purpose for diversion of forest land) in **Dehradun** district falls within jurisdiction of **Nakronda, Balawala, Nathuwala, Soda-Saroli & Barasi grant** village (s) in **Dehradun** tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **202 hectares** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1..to 12 annexure....

(b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion, a copy of certificate issued by the garm sabha of **Nakronda, Balawala, Nathuwala, Soda-Saroli & Barasi grant** villages(s) is enclosed as annexure..1.. to annexure.11...

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl: As above.

Signature

जिलाधिकारी
देहरादून

(Full name and official seal of the District Collector)

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT - DEHRADUN (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Dehradun** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. .....S.A. Murugesan..... I.A.S deputy commissioner Dehradun on dated ..19/12/18.. at time .5.00 P.M..at ..... in which application claiming rights in **Extraction of RBM in Song-1 river** area measuring **202** Hect. for the construction of **Song-1 river** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Dehradun** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:- ..Dehra.Dun

Dated:- ..19/12/18

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee
Dehradun.

जिलाधिकारी
देहरादून

प्रारुप–30.2

परियोजना का नाम :– सौंग–1 नदी में उपखनिज चुगान।

कार्यालय उप जिलाधिकारी (सदर), देहरादून।
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, देहरादून।

उपखण्ड रायपुर परिक्षेत्र के अन्तर्गत थानों रेंज की सौंग–1 नदी में उपखनिज चुगान हेतु (202 हे0 आरक्षित वन भूमि, – हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि – हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 202 हे0 वन भूमि) का उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील देहरादून) की दिनांक 09/08/18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री प्रत्युष सिंह, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री प्रत्युष सिंह उपजिलाधिकारी सदर, देहरादून अध्यक्ष।
2– श्री बी. बी. मर्तोलिया उप प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग सदस्य।
3– श्री धीरज सिंह ग्याल सहायक समाज कल्याण अधिकारी सहायक समाज कल्याण अधिकारी देहरादून शहर सदस्य/सचिव।
4– श्री मनोज मुनियाल बी0डी0सी0 क्षेत्र Muniyal सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत थानों रेंज की सौंग–1 नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु 202 हे0 वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड रायपुर परिक्षेत्र के अन्तर्गत थानों रेंज की सौंग–1 नदी में उपखनिज परियोजना के निर्माण हेतु 202 हे0 वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–देहरादून
जनपद –देहरादून

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–देहरादून
जनपद– देहरादून

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– सौंग–1 नदी में उपखनिज चुगान।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम — नकरौन्दा

तहसील देहरादून, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन **प्रभाग के थानों रेंज की सौंग–1 नदी में उपखनिज चुगान** परियोजना हेतु (202 हे0 आरक्षित वन भूमि, – हे0 सिविल सोयम भूमि **–हे0, वन पंचायत भूमि – हे0) अर्थात कुल** 202 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम विभाग/संस्था **के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन** मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ....नकरौन्दा.............. द्वारा दिनांक 1/7/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य **है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट** किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी **भी आदिवासी** अथवा **गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया** जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना **के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर** ग्रामवासियों **के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।**

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ....नकरौन्दा........................ **के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता** एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र ..... नकरौंदा
वि.ख. डोईवाला (देहरादून)
ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित

1/7/18
ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रारुप–30.4

दिनांक 1/7/2018 की ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ....

कमांक	**ग्राम सभा** में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	Atul Panwar	[signature]
2	अनिल नेगी	[signature]
3	Tajbar Negi	[signature]
4	[illegible]	[signature]
5	[illegible]	[signature]
6	Vijay Vir Singh Bisht	[signature]
7	Jagdish Prasad Juyal	[signature]
8	Harshbardhan Singh	[signature]
9	[illegible]	[signature]
10	अमर ठाकुर	[signature]
11	Prasant	[signature]
12	नाम देशराज	देशराज
13	Subhash Suniyal	[signature]
14	Rama Nand	[signature]
15	Pavitra Singh Negi	[signature]

[stamp] [signature] 1/7/18

ह0/–
ग्राम प्रधान

प्रारुप--30.3

परियोजना का नाम :– सौंग–1 नदी में उपखनिज चुगान।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम थुलकोटी

तहसील देहरादून, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन प्रभाग के थानों रेंज की सौंग–1 नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (202 हे0 आरक्षित वन भूमि, – हे0 सिविल सोयम भूमि –हे0, वन पंचायत भूमि – हे0) अर्थात कुल 202 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत थुलकोटी द्वारा दिनांक 6/7/18 को सम्पन्न ग्राम **सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं** किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त **परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।**

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम थुलकोटी **के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता** एजेन्सी की परियोजना **के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।**

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र ...... थुलकोटी
वि.ख. डोईवाला (देहरादून)

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत ... वि.ख. डोईवाला, देहरादून

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रारुप–30.4

दिनांक 6/7/18 को ग्राम सभा की सम्पंन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत [illegible]

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	हरि प्रसाद खण्डवाल	[illegible]
2	राजेन्द्र प्रसाद [illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]
4	जितेन्द्र सिंह [illegible]	[illegible]
5	ज्ञान सिंह [illegible]	[illegible]
6	[illegible] जोशी	DJoshi
7	[illegible] सिंह नेगी	[illegible]
8	[illegible] सिंह	[illegible]
9	[illegible] सिंह रावत	[illegible]
10	राजेन्द्र प्रसाद [illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]
12		
13		
14		
15		

ह0 / –
ग्राम प्रधान

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– सौंग–1 नदी में उपखनिज चुगान।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सौड़ा सरोली

तहसील देहरादून, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन प्रभाग के थानों रेंज की सौंग–1 नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (202 हे0 आरक्षित वन भूमि, – हे0 सिविल सोयम भूमि –हे0, वन पंचायत भूमि – हे0) अर्थात कुल 202 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन **मंत्रालय** द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ....सौड़ा सरोली........ द्वारा दिनांक 25/6/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत **की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा** आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत **आवेदित वन भूमि** में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी **ग्रामवासियों द्वारा** स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/**कृषि कार्य नहीं** किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण **हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।**

चर्चा के उपरान्त, ग्राम सभा **द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि** ग्राम पंचायत सौड़ा सरोली....... **के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।**

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत सौड़ा सरोली
विकास खण्ड – रायपुर
जनपद – देहरादून

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित
कुसुम रावत
प्रधान ग्राम पंचायत सौड़ा सरोली
वि0ख0–रायपुर देहरादून
उत्तराखण्ड

प्रारुप–30.4

दिनांक 25/6/2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सौड़ा सरोली

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सत्यपाल सिंह राणा	[signature]
2	श्री पाती राम सती	[signature]
3	सुभाष सिंह मनवाल	[signature]
4	सूर्यनारायण [illegible]	[signature]
5	मदन लाल [illegible]	[signature]
6	ललिता प्रसाद [illegible]	[signature]
7	मोहन सिंह	मोहन सिंह
8	गजेन्द्र सिंह	गजेन्द्र
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

ह0/–
ग्राम प्रधान
कुसुम राणा
प्रधान ग्राम पंचायत सौड़ा सरोली
वि०ख० रायपुर देहरादून
उत्तराखण्ड

प्रारूप–30.3

परियोजना का नाम :– सौंग–1 नदी में उपखनिज चुगान।

<u>वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र</u>

ग्राम पंचायत का नाम – बड़ासी ग्रांट

तहसील देहरादून, जिला देहरादून

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन प्रभाग के थानो रेंज की सौंग–1 नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (202 हे0 आरक्षित वन भूमि, – हे0 सिविल सोयम भूमि –हे0, वन पंचायत भूमि – हे0) अर्थात कुल 202 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ......बड़ासी ग्रांट...... द्वारा दिनांक 3/7/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ......बड़ासी...... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत– बड़ासी
विकास खण्ड– रा.1-2
जिला–
ग्राम सचिव
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत बड़ासी वि.ख. रायपुर, देहरादून (उत्तराखण्ड)
ग्राम प्रधान/प्रशासक
मुहर सहित

प्रारूप—30.4

दिनांक 3/7/18 की ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बड़ासी ग्रांट

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	रामस्वरूप सोलंकी	रामस्वरूप सोलंकी
2	धर्म सिंह	धर्म सिंह
3	सुमन सिंह	Suman Singh
4	राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र
5	सुमन सरवाल	सुमन
6	सुरेन्द्र सिंह	सुरेन्द्र
7	कुंवर सिंह	[illegible] सिंह
8	मोहन सिंह	Mohan
9	गोपाल	Gopal
10	प्रवीन	Parveen
11		
12		
13		
14		
15		

प्रधान ग्राम पंचायत बड़ासी
दि.
वि.ख. रायपुर, देहरादून (उत्तराखण्ड)

ग्राम प्रधान

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– सौंग–1 नदी में उपखनिज चुगान।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम —— थालावाला

तहसील देहरादून, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन **प्रभाग के थानों रेंज की सौंग–1 नदी में उपखनिज चुगान** परियोजना हेतु (202 हैं0 आरक्षित वन भूमि, – हे0 सिविल सोयम भूमि **–हे0, वन पंचायत भूमि – हे0) अर्थात कुल** 202 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम विभाग/संस्था **के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन** मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ...थालावाला......... द्वारा दिनांक 7/7/18 की सम्पन्न ग्राम **सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा** आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत **करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन** अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि **में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का** कब्जा/कृषि कार्य है अथवा **नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी** आदिवासी अथवा **गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।**

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम .... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो **सत्य एवं सही है।**

पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र ..... थालावाला
वि.ख. डोईवाला (देहरादून)

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत थालावाला
श्रीमती ..... थापा
Sthapa
दि0 07/07/2018
वि0 ख0 डोईवाला, देहरादून

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रारुप–30.4

दिनांक 1/7/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत [illegible]

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	अशोक क्षेत्री	अशोक
2	किशन रमोला	Kishan
3	सागर पाल	सागर पाल
4	अरुण पाल	A Pal
5	ललित पाल	ललित पाल
6	राजेन्द्र	राजेन्द्र
7	प्रमोद	Pirmod
8	नरेश	नरेश
9	प्रशांत रमोला	[illegible]
10	नरेन्द्र बिष्ट	नरेन्द्र
11	प्रवीण नेगी	[illegible]
12	दिनेश थापा	D Thapa
13	पदम थापा	पदमथापा
14	अजेश राणा	अजेश
15	अजय पंवार	Ajay

प्रधान ग्राम पंचायत [illegible]
श्रीमती [illegible] थापा
D Thapa
ह0/ डोईवाला, देहरादून
ग्राम प्रधान

कार्यालय – जिलाधिकारी, देहरादून
जनपद देहरादून

पत्रांक 2017/ दिनांक 27/12/, 2018

वनाधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जनजातीय व्यक्ति एवं पारम्परिक वन निवासी हेतु गठित जिलास्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 19/12/18 को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वनाधिकार अधिनियम –2006 के अन्तर्गत गठित जिलास्तरीय समिति में जनपद देहरादून के देहरादून वन प्रभाग अन्तर्गत थानो रेंज की सौंग–2 नदी, 136.85 है0 में उपखनिज चुगान का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया जिस हेतु 136.85 है0 भूमि वन विभाग से उत्तराखण्ड वन विकास निगम को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिकी कार्य हेतु सम्बन्धित ग्राम सभा/ग्राम पंचायत एवं उपखण्ड समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गयी है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एवं संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उप जिलाधिकारी डोईवाला की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त 136.85 है0 भूमि जो कि वन विभाग के थानो रेंज के अन्तर्गत आती है, पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

उपजिलाधिकारी, डोईवाला की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न हैं।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग
देहरादून
प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून

जिलाधिकारी,
देहरादून
जिलाधिकारी
देहरादून

प0सं0 ...../...../दिनांक

प्रतिलिपि:– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
देहरादून
जिलाधिकारी
देहरादून

प्रारुप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Office of the District Collector Dehradun

Government of Uttarakhand

No- 2017 Dated- 27/12/18

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **136.85 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Uttarakhand Forest Development Corporation** (name of user agency) for **Extraction of RBM in Song-2 River** (purpose for diversion of forest land) in **Dehradun** district falls within jurisdiction of **Kaluwala** village (s) in **Doiwala** tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **136.85 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1..to3..annexure....

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature

जिलाधिकारी
देहरादून

(Full name and official seal of the District Collector)

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Office of the District Collector Dehradun

Government of Uttarakhand

No- 2017 **Dated-** 27/12/18

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **136.85 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Uttarakhand Forest Development Corporation** (name of user agency) for **Extraction of RBM in Song-2 river** (purpose for diversion of forest land) in **Dehradun** district falls within jurisdiction of **Kaluwala** village (s) in **Doiwala** tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **136.85 hectares** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 3 annexure....

(b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion, a copy of certificate issued by the Garm sabha of of **Kaluwala** villages(s) is enclosed as annexure..1.. to annexure 2....

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl: As above.

Signature

जिलाधिकारी
देहरादून

(Full name and official seal of the District Collector)

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT - DEHRADUN (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Dehradun** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. ....S.A.Murugesan..... I.A.S deputy commissioner Dehradun on dated ..19/12/18.. at time 5:00 P.M. ...at ..... in which application claiming rights in **Extraction of RBM in Song-2 river** area measuring **136.85** Hect. for the construction of **Song-2 river** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Doiwala** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:- ..Dehra Dun

Dated:- ..19/12/18

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee
Dehradun.

जिलाधिकारी
देहरादून

प्रारुप–30.2

परियोजना का नाम :– सौंग–2 नदी में उपखनिज चुगान।
कार्यालय उप जिलाधिकारी , डोईवाला।
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, देहरादून।

उपखण्ड डोईवाला परिक्षेत्र के अन्तर्गत थानों रेंज की सौंग–2 नदी में उपखनिज चुगान हेतु (136.85 हे0 आरक्षित वन भूमि, – हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि – हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 136.85 हे0 वन भूमि) का उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील डोईवाला) की दिनांक 04.8.18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्रीमती कुसुम चौहान, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री श्रीमती कुसुम चौहान उपजिलाधिकारी डोईवाला अध्यक्ष।
2– श्री बी०बी० मर्तोलिया उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य।
3– श्री तिलोक सिंह राणा सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव।
4– श्री पंकज रावत बी0डी0सी0 क्षेत्र डोईवाला 02 सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत थानों रेंज की सौंग–2 नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु 136.85 हे0 वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी **(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी** नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से **माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।**

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड डोईवाला परिक्षेत्र **के अन्तर्गत थानों रेंज की सौंग–2 नदी में उपखनिज परियोजना के निर्माण हेतु 136.85** हे0 वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम **प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर** प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–डोईवाला
जनपद –देहरादून

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–डोईवाला
जनपद– देहरादून

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– सौंग–2 नदी में उपखनिज चुगान।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम डोईवाला
तहसील डोईवाला, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन प्रभाग के थानों रेंज की सौंग–2 नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (136.85 हे0 आरक्षित वन भूमि, – हे0 सिविल सोयम भूमि –हे0, वन पंचायत भूमि – हे0) अर्थात कुल 136.85 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ...डोईवाला... द्वारा दिनांक 23-4-18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ...डोईवाला... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– 8-7-18
ग्राम सचिव
मुहर सहित
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत....डोईवाला....
वि0ख0 डोईवाला, जिला देहरादून

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित
08/07/018

प्रारुप–30.4

दिनांक...23.5.18...........को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ...[illegible]...

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	अरुण जोशी	Autoshi
2	अंकित नेगी	Ankit
3	[illegible] नेगी	R.S. [illegible]
4	आनन्द सिंह नेगी	[illegible]
5	आशीष नेगी	Ashish
6	अतुल नेगी	Atul
7	अनुज रावत	Anuj
8	[illegible] नेगी	[illegible]
9	Jaybeer	Jaybeer
10	Sandeep Rathor	Rathor
11	सुमित नेगी	सुमित नेगी
12	[illegible] सिंह रावत	[illegible]
13	भूपेन्द्र सिंह रावत	B.Rawat
14	मनोज कुमार [illegible]	[illegible]
15		

ह0 / –
ग्राम प्रधान

उमा
दि0 08/07/018

कार्यालय – जिलाधिकारी, देहरादून
जनपद देहरादून

पत्रांक 2016 /

दिनांक 27/12/ 2018

वनाधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जनजातीय व्यक्ति एवं पारम्परिक वन निवासी हेतु गठित जिलास्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 19/12/18 को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वनाधिकार अधिनियम –2006 के अन्तर्गत गठित जिलास्तरीय समिति में जनपद देहरादून के देहरादून वन प्रभाग अन्तर्गत लच्छीवाला रेंज की सौंग–3 नदी, 93.50 है0 में उपखनिज चुगान का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया जिस हेतु 93.50 है0 भूमि वन विभाग से उत्तराखण्ड वन विकास निगम को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिकी कार्य हेतु सम्बन्धित ग्राम सभा/ग्राम पंचायत एवं उपखण्ड समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गयी है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एवं संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उप जिलाधिकारी डोईवाला की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त 93.50 है0 भूमि जो कि वन विभाग के लच्छीवाला रेंज के अन्तर्गत आती है, पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

उपजिलाधिकारी, डोईवाला की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग
देहरादून
प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून

जिलाधिकारी,
देहरादून
जिलाधिकारी
देहरादून

पo सं0 ...../...../दिनांक

प्रतिलिपि:– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
देहरादून
जिलाधिकारी
देहरादून

प्रारुप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Office of the District Collector Dehradun

Government of Uttarakhand

No- 2016 **Dated-** 27/12/18

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **93.50 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Uttarakhand Forest Development Corporation** (name of user agency) for **Extraction of RBM in Song-3 River** (purpose for diversion of forest land) in **Dehradun** district falls within jurisdiction of **Majri grant, Markham grant, Fatehpur tanda, Dashwala** village (s) in **Doiwala** tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **93.50 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1..to 9.annexure....

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature

जिलाधिकारी
देहरादून

(Full name and official seal of the District Collector)

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Office of the District Collector Dehradun

Government of Uttarakhand

No- 2016 **Dated-** 27/12/18

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **93.50 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Uttarakhand Forest Development Corporation** (name of user agency) for **Extraction of RBM in Song-3 river** (purpose for diversion of forest land) in **Dehradun** district falls within jurisdiction of **Majri grant, Markham grant, Fatehpur tanda, Dashwala** village (s) in **Doiwala** tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **93.50 hectares** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure .1.to .9annexure....

(b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion, a copy of certificate issued by the Garm sabha of **Majri grant, Markham grant, Fatehpur tanda, Dashwala** villages(s) is enclosed as annexure..1.. to annexure.8...

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA.

Encl: As above.

Signature

जिलाधिकारी
देहरादून

(Full name and official seal of the District Collector)

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT - DEHRADUN (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Dehradun** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. .....S.A. Murugesan..... I.A.S deputy commissioner Dehradun on dated ...19/12/18. at time .5:00 P.M...at ..... in which application claiming rights in **Extraction of RBM in Song-3 river** area measuring **93.50** Hect. for the construction of **Song-3 river** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Doiwala** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:- ..Dehra Dun

Dated:- ...19/12/18

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee
Dehradun.

जिलाधिकारी
देहरादून

प्रारुप–30.2

परियोजना का नाम :– सौंग–3 नदी में उपखनिज चुगान।

कार्यालय उप जिलाधिकारी , डोईवाला।
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, देहरादून।

उपखण्ड डोईवाला परिक्षेत्र के अन्तर्गत लच्छीवाला रेंज की सौंग–3 नदी में उपखनिज चुगान हेतु (93.50 हे0 आरक्षित वन भूमि, – हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि – हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 93.50 हे0 वन भूमि) का उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील डोईवाला) की दिनांक 04/08/18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री मति कुसुम चौहान, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1–	श्री मति कुसुम चौहान	उपजिलाधिकारी	डोईवाला	अध्यक्ष।
2–	श्री बी०बी० मार्तोलिया	उप प्रभागीय वनाधिकारी		सदस्य।
3–	श्री त्रिलोक सिंह राणा	सहायक समाज कल्याण अधिकारी		सदस्य/सचिव।
4–	श्री पिंकी सैनी	बी0डी0सी0 क्षेत्र	पिंकी सैनी	सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत लच्छीवाला रेंज की सौंग–3 नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु 93.50 हे0 वन भूमि उत्तराखंण्ड वन विकास निगम प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड डोईवाला परिक्षेत्र के अन्तर्गत लच्छीवाला रेंज की सौंग–3 नदी में उपखनिज परियोजना के निर्माण हेतु 93.50 हे0 वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–डोईवाला
जनपद –देहरादून

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–डोईवाला
जनपद– देहरादून

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– सौंग–3 नदी में उपखनिज चुगान।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ————

तहसील डोईवाला, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन प्रभाग के लच्छीवाला रेंज की सौंग–3 नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (93.50 हे0 आरक्षित वन भूमि, – हे0 सिविल सोयम भूमि –हे0, वन पंचायत भूमि – हे0) अर्थात कुल 93.50 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। 30/06/018

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत .....द्वारा दिनांक.....को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ..... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रारुप—30.4

दिनांक 3-06-019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत मारखमग्रांट

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जगदीश्वर सिंह	[signature]
2	मनीष कुमार	Manu Pal
3	ईश्वर सिंह	ईश्वर सिंह
4	सुरेन्द्र पाल	सुरेन्द्र पाल
5	Pravesh Pal	Pravesh Pal
6	संजय पाल	संजय पाल
7	Sushil.kr	Sushil.kr
8	किशन कुमार	किशन कुमार
9	रामचन्द्र	रामचन्द्र
10	वेदप्रकाश	वेदप्रकाश
11	संजीव कुमार	[signature]
12	रामचन्द	रामचन्द
13		
14		
15		

प्रधान ग्राम पंचायत मारखम ग्रांट
ह0
ग्राम प्रधान,
वि0 ख0 डोईवाला, देहरादून

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– सौंग–3 नदी में उपखनिज चुगान।

<u>वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र</u>
ग्राम पंचायत का नाम ————
तहसील डोईवाला, जिला देहरादून

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन **प्रभाग के लच्छीवाला रेंज की सौंग–3 नदी में उपखनिज** चुगान परियोजना हेतु (93.50 हे0 आरक्षित वन भूमि, – **हे0 सिविल सोयम भूमि –हे0, वन पंचायत भूमि – हे0)** अर्थात कुल 93.50 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास **निगम विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार,** पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ....माजरी ग्रांट.......... द्वारा दिनांक 30/6/12 को सम्पन्न ग्राम सभा/**ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी** द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत **करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार** अधिनियम, **2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा**/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा **स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी** आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं **किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के** निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत **अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।**

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित **किया गया कि** ग्राम ...माजरी ग्रांट................... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास **निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।**

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–	ह0/–
ग्राम सचिव	ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित	मुहर सहित

सुलोचना पाल
क्षेत्र पंचायत सदस्य माजरी II
विकास खण्ड डोईवाला
देहरादून (उत्तराखण्ड)

प्रारुप–30.4

दिनांक 30/6/18 .....को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत माजरी ग्रांट

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	Mahipal Singh S/o Resham Majri	
2	AKSHAY Kumar S/o Resham MAJRI	
3	~~महीपाल सिंह S/o रेशम माजरी~~	Mahipal Singh.
4	Ajay Kumar Pal S/o Resham Majri	Ajay
5	Praveen Pal S/o Ratan Singh - V.P.O Resham Majri	Praveen
6	Kapil Pal S/o Vijay Singh V.P.O Resham Majri	
7	Rohit Pal S/o Anil Pal S/o = MAJRI GRANT	
8	Mahesh Kumar S/o MAJRI GRANT	Mahesh Kumar
9	Dhirendra Kumar S/o MAJRI GRANT	Dhirendra Kumar
10	Deewan Khazda S/o " "	
11	Radha Pal Majri	
12	Akhil Khazda " "	
13	Sandeep Pal " "	
14		
15		

ह0/–
ग्राम प्रधान

30/6/18

श्रीमती सुलोचना पाल
क्षेत्र पंचायत सदस्य माजरी II
विकास खण्ड डोईवाला
देहरादून (उत्तराखण्ड)

प्रारुप—30.3

परियोजना का नाम :— सौंग—3 नदी में उपखनिज चुगान।

<u>वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र</u>
ग्राम पंचायत का नाम ————
तहसील डोईवाला, जिला देहरादून

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन प्रभाग के लच्छीवाला रेंज की सौंग—3 नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (93.50 हे0 आरक्षित वन भूमि, — हे0 सिविल सोयम भूमि —हे0, वन पंचायत भूमि — हे0) अर्थात कुल 93.50 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ....जीवनवाला.... द्वारा दिनांक ..30/6/2018.... को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त, ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ....फतेहपुर टांडा.... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/—
ग्राम सचिव
मुहर सहित

हरदीप कौर
उप—प्रधान ग्राम सभा जीवनवाला
(फतेहपुर टांडा)
वि0 खण्ड डोईवाला, देहरादून।

ह0/—
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

जिला पंचायत सदस्या
डोईवाला
Tajendra Kaur
29/6/18

सुलोचना पाल
क्षेत्र पंचायत सदस्य माजरी II
विकास खण्ड डोईवाला
देहरादून (उत्तराखण्ड)

विवेक कुमार S/o ईश्वर दास
वार्ड सदस्य - ग्राम पंचायत जीवनवाला

प्रारुप–30.4

दिनांक 30/8/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत जीवनवाला ग्रांम - फतेहपुर टाँडा

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	Sushil Kumar V/o Resham Majri	Sushil
2	ANKUSH PAL V/o Fatehpur TANDA	Ankush
3	Manjeet Singh V/o - Nunnawala -	M Singh
4	VIVEK KUMAR S/O ISHWAR JEEWANWALA	VIVEK
5	Jugal Pal. Fatehpur Tanda	जुगल पाल
6	Jasbir Singh V.P.O Fatehpur Tanda	[illegible]
7	Sandeep Kumar Pal VILL P.O Fatehpur Tanda	[illegible]
8	Jaywinder Singh Jeevanwala	[illegible]
9	Chander Bhan Singh	C Bhan
10	Sushil Kumar Vil = majri	[illegible]
11	Gurmeet Singh nunnawalla	G Singh
12	Satveer Singh Jauwad	[illegible]
13	Charan Jeet Singh NUNAWALA	[illegible]
14	राजेन्द्र सिंह नुन्नावाला	[illegible]
15	रघुवीर सिंह भनियावाला	रघुवीर सिंह

हरदीप कौर

ग्राम प्रधान ग्राम सभा जीवनवाला
(फतेहपुर टांडा)
विकास खण्ड डोईवाला, देहरादून।

ह0/ [illegible]
ग्राम प्रधान

सुलोचना पाल
ग्राम पंचायत सदस्य माजरी II
विकास खण्ड डोईवाला
देहरादून (उत्तराखण्ड)

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– सौंग–3 नदी में उपखनिज चुगान।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम ————
तहसील डोईवाला, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन प्रभाग के लच्छीवाला रेंज की सौंग–3 नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (93.50 हे0 आरक्षित वन भूमि, – हे0 सिविल सोयम भूमि –हे0, वन पंचायत भूमि – हे0) अर्थात कुल 93.50 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत डैसवाला डोईवाला ..... द्वारा दिनांक 4-7-18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम [illegible] डैसवाला के ग्रामवासियों **को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।**

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

क्र-3644

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित
सुलोचना देवी
सुलोचना देवी
सदस्य क्षेत्र पंचायत डैसवाला
विकास खण्ड डोईवाला
देहरादून (उत्तराखण्ड)

ग्राम पंचायत डैसवाला
ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित
विकासखण्ड डोईवाला

प्रारूप–30.4

दिनांक 04-07-2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत डोईवाला केशवपुरी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थिति वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	देवेन्द्र प्रसाद	[signature]
2	श्यामा देवी	श्यामा देवी
3	रमन	Raman Pal
4	मीना पाल	मीना पाल
5	राहुल	राहुल
6	नारायन	नारायन
7	किरन	किरन
8	मुन्ना लाल	मुन्नालाल
9	सागर	सागर
10	दीपक	दीपक
11	विनोद	विनोद
12	सचिन	सचिन
13		
14		
15		

ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत डोईवाला देहरादून [stamp with signature]

ह0 /–

ग्राम प्रधान

कार्यालय – जिलाधिकारी, देहरादून
जनपद देहरादून

पत्रांक 2015 / दिनांक 27/12/, 2018

वनाधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जनजातीय व्यक्ति एवं पारम्परिक वन निवासी हेतु गठित जिलास्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 19/12/18 को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वनाधिकार अधिनियम –2006 के अन्तर्गत गठित जिलास्तरीय समिति में जनपद देहरादून के देहरादून वन प्रभाग अन्तर्गत थानो रेंज की जाखन–1 नदी, 99.95 है0 में उपखनिज चुगान का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया जिस हेतु 99.95 है0 भूमि वन विभाग से उत्तराखण्ड वन विकास निगम को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिकी कार्य हेतु सम्बन्धित ग्राम सभा/ग्राम पंचायत एवं उपखण्ड समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गयी है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एवं संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उप जिलाधिकारी ऋषिकेश की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त 99.95 है0 भूमि जो कि वन विभाग के थानो रेंज के अन्तर्गत आती है, पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

उपजिलाधिकारी, ऋषिकेश, देहरादून की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून — प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग देहरादून — जिलाधिकारी, देहरादून

(मुहर: जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून; प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग, देहरादून; जिलाधिकारी देहरादून)

प0सं0 ..../ ..../ दिनांक

प्रतिलिपिः– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन **विकास निगम, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक** कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
देहरादून
(मुहर: जिलाधिकारी देहरादून)

प्रारुप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Office of the District Collector Dehradun

Government of Uttarakhand

No- 2015 Dated- 27/12/18

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **99.95 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Uttarakhand Forest Development Corporation** (name of user agency) for **Extraction of RBM in Jakhan-1 River** (purpose for diversion of forest land) in **Dehradun** district falls within jurisdiction of **Rakhwal Gaon, Gadul Gaon, Listrabaad grant, Ranipokhri grant, Ramnagar Danda, Kotimaychak, Mauja Ranipokhri** village (s) in **Rishikesh** tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **99.95 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1..to 15 annexure....

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature

जिलाधिकारी
देहरादून

(Full name and official seal of the District Collector)

प्रारुप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Office of the District Collector Dehradun

Government of Uttarakhand

No- 2015 Dated- 27/12/18

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **99.95 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Uttarakhand Forest Development Corporation** (name of user agency) for **Extraction of RBM in Jakhan-1 River** (purpose for diversion of forest land) in **Dehradun** district falls within jurisdiction of **Rakhwal Gaon, Gadul Gaon, Listrabaad grant, Ranipokhri grant, Ramnagar Danda, Kotimaychak, Mauja Ranipokhri** village (s) in **Rishikesh** tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **99.95 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1..to 15 annexure....

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature

जिलाधिकारी
देहरादून

(Full name and official seal of the District Collector)

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Office of the District Collector Dehradun

Government of Uttarakhand

No- 2015 Dated- 27/12/18

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **99.95 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Uttarakhand Forest Development Corporation** (name of user agency) for **Extraction of RBM in Jakhan-1 river** (purpose for diversion of forest land) in **Dehradun** district falls within jurisdiction of **Rakhwal Gaon, Gadul Gaon, Listrabaad grant, Ranipokhri grant, Ramnagar Danda, Kotimaychak, Mauja Ranipokhri** village (s) in **Rishikesh** tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **99.95 hectares** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure .1.to 15annexure....

(b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion, a copy of certificate issued by the Garm sabha of **Rakhwal Gaon, Gadul Gaon, Listrabaad grant, Ranipokhri grant, Ramnagar Danda, Kotimaychak, Mauja Ranipokhri** villages(s) is enclosed as annexure..1.. to annexure.14...

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA.

Encl: As above.

Signature

जिलाधिकारी
देहरादून

(Full name and official seal of the District Collector)

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT - DEHRADUN (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Dehradun** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. .....S.A. MURUGESAN... I.A.S deputy commissioner Dehradun on dated .19/12/18... at time ..5:00 P.M.at ..... in which application claiming rights in **Extraction of RBM in Jakhan-1 river** area measuring **99.95** Hect. for the construction of **Jakhan-1 river** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Rishikesh** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:- ...Dehradun

Dated:- 19/12/18

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee
Dehradun.

प्रारुप–30.2

परियोजना का नाम :– जाखन–1 नदी में उपखनिज चुगान।

कार्यालय उप जिलाधिकारी , ऋषिकेश।
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, ऋषिकेश ।

उपखण्ड ऋषिकेश परिक्षेत्र के अन्तर्गत थानों रेंज की जाखन–1 नदी में उपखनिज चुगान हेतु (99.95 हे0 आरक्षित वन भूमि, – हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि – हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 99.95 हे0 वन भूमि) का उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील ऋषिकेश) की दिनांक 04/08/18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री हर गिरी, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री हरगिरी उपजिलाधिकारी ऋषिकेश अध्यक्ष।
2– श्री बी०बी० मर्तोलिया उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य।
3– श्री दिलीप सिंह राणा सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव।
4– श्री श्रीमती गीता जायसवाल बी0डी0सी0 क्षेत्र Geeta Jaiswal सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत थानों रेंज की जाखन–1 नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु 99.95 हे0 वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ऋषिकेश परिक्षेत्र के अन्तर्गत थानों रेंज की जाखन–1 नदी में उपखनिज परियोजना के निर्माण हेतु 99.95 हे0 वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–ऋषिकेश
जनपद –देहरादून

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–ऋषिकेश
जनपद– देहरादून

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– जाखन–1 नदी में उपखनिज चुगान।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम ———
तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन प्रभाग के थानों रेंज की जाखन–1 नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (99.95 हे0 आरक्षित वन भूमि, – हे0 सिविल सोयम भूमि –हे0, वन पंचायत भूमि – हे0) अर्थात कुल 99.95 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ...रखवाल गाँव... द्वारा दिनांक 25-4-18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम .... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान
ग्राम पंचायत रखवालगाँव
ब्लाक डोईवाला (देहरादून)
ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत रखवालगाँव
वि0 ख0 डोईवाला जिला– देहरादून

प्रारूप–30.4

दिनांक 25-4-18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत रखवालगांव

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	योगेन्द्र सिंह रावत	[illegible]
2	Aman Singh Rawat	[illegible]
3	विरेन्द्र चन्द	[illegible]
4	Dharmender Singh	[illegible]
5	राम कुमार शर्मा	[illegible]
6	[illegible] देवी	[illegible]
7	[illegible] रामसिंह	[illegible]
8	Hitender Singh	Hitender Singh
9	दीपक प्रकाश	[illegible]
10	नीरज कुमार	[illegible]
11	अभिजीत चन्द	अभिजीत
12	योगेन्द्र सिंह	योगेन्द्र सिंह
13	विमल प्रकाश	Vimal
14	हर्ष प्रकाश	[illegible] प्रकाश
15	देवेन्द्र चन्द	D. C. [illegible]

ह0/–
ग्राम प्रधान [signature]

प्रधान
ग्राम पंचायत रखवालगांव
ब्लाक डोईवाला, (देहरादून)

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– जाखन–1 नदी में उपखनिज चुगान।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ——————

तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन प्रभाग के थानों रेंज की जाखन–1 नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (99.95 हे0 आरक्षित वन भूमि, – हे0 सिविल सोयम भूमि –हे0, वन पंचायत भूमि – हे0) अर्थात कुल 99.95 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत .... द्वारा दिनांक 5/5/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम .... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

(श्रीमती कमला पुण्डीर)
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत
ह0/
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

ह0/–
27-7-2018
ग्राम सचिव
मुहर सहित
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ....
वि0 ख0 डोईवाला जिला– देहरादून

प्रारूप–30.4

दिनांक 05/5/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत गडूल

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	नरदेव सिंह	नरदेव सिंह पुण्डीर
2	कलम सिंह	कलम सिंह
3	राधेश्याम	राधेश्याम
4	मोहन सिंह	मोहन सिंह
5	रामरक्षपाल सिंह	रामरक्षपाल [illegible]
6	प्रवीण सिंह	प्रवीण सिंह
7	राकेश रावत	राकेशरावत
8	विकास पुण्डीर	विकास
9	रघुवीर सिंह	रघुवीर
10	हिमांशु पुण्डीर	हिमांशु
11	देवपाल सिंह	देवपाल
12	धर्मपाल सिंह	[illegible]
13	रणवीर सिंह	रणवीर सिंह
14	दिनेश सिंह	दिनेश
15	भगवान सिंह	भगवान

कमला पुण्डीर
(श्रीमती कमला पुण्डीर)
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत गडूल
वि०ख० डोईवाला, देहरादून
ग्राम प्रधान

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– जाखन–1 नदी में उपखनिज चुगान।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम ————
तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन प्रभाग के थानों रेंज की जाखन–1 नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (99.95 हे0 आरक्षित वन भूमि, – हे0 सिविल सोयम भूमि –हे0, वन पंचायत भूमि – हे0) अर्थात कुल 99.95 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ....लिस्ट्राबाद.... द्वारा दिनांक 4/7/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम .... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत लिस्ट्राबाद
ह0 [signature]
दि0 4/7/2018

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रारुप–30.4

दिनांक 4/7/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत 4/7/18 लिस्ट्राबाद

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	वार्ड सदस्या 01 मंजू चौधरी	मंजू चौधरी
2	वार्ड सदस्य 02 जगन्नाथ पैन्यूली	[illegible]
3	वार्ड सदस्य 03 अकबर अली (उपप्रधान)	[illegible]
4	वार्ड सदस्य 04 चन्द्रपाल	चन्द्रपाल
5	वार्ड सदस्य -5 वेदप्रकाश	वेदप्रकाश
6	वार्ड सदस्या 06 बाई तुलसी	TULSI
7	वार्ड सदस्या 07 कमलेश	कमलेश
8	वार्ड सदस्या 08 कमला देवी	कमलादेवी
9	वार्ड सदस्या 09 राजबाला	राजबाला
10		
11		
12		
13		
14		
15		

ह0/–

ग्राम प्रधान

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– जाखन–1 नदी में उपखनिज चुगान।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम ————
तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन प्रभाग के थानों रेंज की जाखन–1 नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (99.95 हे0 आरक्षित वन भूमि, – **हे0 सिविल सोयम भूमि –हे0, वन पंचायत भूमि – हे0)** अर्थात कुल 99.95 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास **निगम विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार,** पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ...रानी पोखरी ग्रान्ट...द्वारा दिनांक...4/7/18...को सम्पन्न ग्राम **सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा** आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत **करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन** अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि **में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का** कब्जा/कृषि कार्य है अथवा **नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी** अथवा गैर **आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।**

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम .... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह0/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित
प्रधान
ग्राम सभा रानीपोखरी ग्रान्ट
जिला देहरादून

प्रारुप–30.4

दिनांक 9/7/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत रानी पोखरी ग्रान्ट

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	विमला देवी वार्ड 1	विमला देवी
2	लक्ष्मी देवी	लक्ष्मी देवी
3	शोभा देवी (वार्ड 3)	शोभा देवी (3)
4	निशा रावत (वार्ड 4)	निशा रावत
5	लक्ष्मी देवी (वार्ड 6)	लक्ष्मी देवी
6	[illegible] वार्ड –7	[illegible]
7	एकता यादव	एकता
8	[illegible] वार्ड – 5	[illegible]
9	सुनील यादव – 10	[illegible]
10	सुनील कुमार	[illegible]
11	सपना आर्य	[illegible]
12	सन्दीप कुमार	[illegible]
13	अजय कुमार	[illegible]
14	इन्द्रपाल सिंह पूर्व प्रधान	[illegible]
15		

अनिता
प्रधान

ह0/–
ग्राम प्रधान
ग्राम सभा रानीपोखरी ग्रान्ट
जिला देहरादून

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– जाखन–1 नदी में उपखनिज चुगान।

<u>वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र</u>

ग्राम पंचायत का नाम ————

तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन प्रभाग के थानों रेंज की जाखन–1 नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (99.95 हे0 आरक्षित वन भूमि, – हे0 सिविल सोयम भूमि –हे0, वन पंचायत भूमि – हे0) **अर्थात कुल 99.95** हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, **पर्यावरण एवं वन** मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ..रामनगर..... द्वारा दिनांक..10-7-18..को सम्पन्न ग्राम **सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा** आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि **कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा** स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी **अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं** किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण **हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।**

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम .... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित

(ग्राम पंचायत अधिकारी; ग्राम पंचायत– रामनगर; विकास खण्ड–; जिला–)

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

(प्रधान ग्राम पंचायत रामनगर डांडा * विकास खण्ड रायपुर, थानों देहरादून *; ह0 ...; दि0 10-07-18)

प्रारूप–30.4

दिनांक 10-07-18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत रामनगर डांडा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	महेन्द्र सिंह सोलंकी	[illegible]
2	अमित डबराल	[illegible]
3	अनिल कुमार	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]
5	रविन्द्र सिंह	खेम सिंह
6	खेम सिंह	[illegible]
7	प्रताप सिंह	[illegible]
8	वीर सिंह	वीर सिंह
9	नन्द किशोर	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]
11	नरेन्द्र सिंह	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]
13	नवीन कुमार	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]

ह0/–
ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत रामनगर डांडा
ह0 [illegible]
दि0 10-07-18
विकास खण्ड रायपुर, थानो, देहरादून

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– जाखन–1 नदी में उपखनिज चुगान।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम ———
तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन प्रभाग के थानों रेंज की जाखन–1 नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (99.95 है0 आरक्षित वन भूमि, – है0 सिविल सोयम भूमि –है0, वन पंचायत भूमि – है0) अर्थात कुल 99.95 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ....कोटी मयचक.... द्वारा दिनांक 10-7-18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम .... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी कोटीमयचक
ग्राम पंचायत सचिव
विकासखण्ड रायपुर सहित
जिला–

प्रधान, ग्राम पंचायत कोटीमयचक
विकास खण्ड रायपुर, देहरादून
ह0 ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित
10-7-018

प्रारूप–30.4

दिनांक 10-7-18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कोठी मय चक

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	अशोक सोलंकी	[illegible]
2	गजराज सिंह	गजराज सिंह
3	सुनील बडूनी	Sunil Baduni
4	अविनाश सोलंकी	Avinash
5	प्यारेलाल ममगाई	प्यारेलाल ममगाई
6	रमेश सोलंकी (प्रदेश प्रवक्ता [illegible])	[illegible]
7	दीवानसिंह रावत	[illegible]
8	संजय डिमरी	[illegible]
9	चरण सिंह	चरण सिंह
10	किशोर सोलंकी	[illegible]
11	मनोज सिंह	[illegible]
12	सुनिल	Sunil
13	ज्ञान सिंह	ज्ञान सिंह
14	राजेन्द्र सिंह	[illegible]
15	प्रेम सिंह	[illegible]

ह० [signature]
ग्राम प्रधान
10-7-2018

(Stamp: ग्राम पंचायत [illegible])

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– जाखन–1 नदी में उपखनिज चुगान।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ————

तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन प्रभाग के थानों रेंज की जाखन–1 नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (99.95 हे0 आरक्षित वन भूमि, – हे0 सिविल सोयम भूमि –हे0, वन पंचायत भूमि – हे0) अर्थात कुल 99.95 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मोजा रानीपोखरी द्वारा दिनांक 4/7/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम .... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

4/7/18

प्रारूप—30.4

दिनांक 4/7/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत मोला रानी चौकी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री मदन सिंह मिया	Mavdan Miya
2	श्रीमति सरोज रमोला	सरोज रमोला
3	" दीप्ती रमोला	दीप्ती रमोला
4	" अनीता नेगी	अनिता नेगी
5	श्री वीरेन्द्र सिंह	वीरेन्द्र सिंह
6	" आशीष नेगी	आशीष
7	" संदीप बिष्ट	Sandeep
8	श्रीमती लारवनी देवी	लारवनी
9	" बबीता देवी	Babita
10		
11		
12		
13		
14		
15		

प्रधान ग्राम पंचायत मोला रानीचौकी

ह० 4/7/18

ह०/—
ग्राम प्रधान

कार्यालय – जिलाधिकारी, देहरादून
जनपद देहरादून

पत्रांक 2014/ दिनांक 27/12/18 2018

वनाधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जनजातीय व्यक्ति एवं पारम्परिक वन निवासी हेतु गठित जिलास्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 19/12/18 को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वनाधिकार अधिनियम –2006 के अन्तर्गत गठित जिलास्तरीय समिति में जनपद देहरादून के देहरादून वन प्रभाग अन्तर्गत बड़कोट रेंज की जाखन–2 नदी, 96.50 है0 में उपखनिज चुगान का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया जिस हेतु 96.50 है0 भूमि वन विभाग से उत्तराखण्ड वन विकास निगम को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिकी कार्य हेतु सम्बन्धित ग्राम सभा/ग्राम पंचायत एवं उपखण्ड समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गयी है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एवं संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उप जिलाधिकारी डोईवाला की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त 96.50 है0 भूमि जो कि वन विभाग के बड़कोट रेंज के अन्तर्गत आती है, पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

उपजिलाधिकारी, डोईवाला की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न हैं।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून — प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग — जिलाधिकारी, देहरादून

(मुहर: जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून; प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग, देहरादून; जिलाधिकारी देहरादून)

प0सं0 ..../......../ दिनांक

प्रतिलिपिः– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
देहरादून

(मुहर: जिलाधिकारी देहरादून)

प्रारुप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Office of the District Collector Dehradun

Government of Uttarakhand

No- 2014 **Dated-** 27/12/18

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **96.50 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Uttarakhand Forest Development Corporation** (name of user agency) for **Extraction of RBM in Jakhan-2 River** (purpose for diversion of forest land) in **Dehradun** district falls within jurisdiction of **Majri Grant, Rainapur Grant, Aturwala** village (s) in **Doiwala** tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **96.50 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1..to 7.annexure....

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Signature

Encl: As above.

जिलाधिकारी
देहरादून

(Full name and official seal of the District Collector)

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Office of the District Collector Dehradun

Government of Uttarakhand

No- 2014 Dated- 27/12/18

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **96.50 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Uttarakhand Forest Development Corporation** (name of user agency) for **Extraction of RBM in Jakhan-2 river** (purpose for diversion of forest land) in **Dehradun** district falls within jurisdiction of **Majri Grant, Rainapur Grant, Aturwala** village (s) in **Doiwala** tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **96.50 hectares** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1..to 7.annexure....

(b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion, a copy of certificate issued by the Garm sabha of **Majri Grant, Rainapur Grant, Aturwala** villages(s) is enclosed as annexure..1.. to annexure.6...

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA.

Encl: As above.

Signature

जिलाधिकारी
देहरादून

(Full name and official seal of the District Collector)

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT - DEHRADUN (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Dehradun** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. .....S.A.MURUGESAN..... I.A.S deputy commissioner Dehradun on dated 19/12/18... at time 5:00 p.m...at ..... in which application claiming rights in **Extraction of RBM in Jakhan-2 river** area measuring **96.50** Hect. for the construction of **Jakhan-2 river** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Doiwala** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:- .Dehra.Dun

Dated:- .19/12/18.

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee
Dehradun.

जिलाधिकारी
देहरादून

प्रारुप–30.2

परियोजना का नाम :– जाखन–2 नदी में उपखनिज चुगान।

कार्यालय उप जिलाधिकारी , डोईवाला।
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, डोईवाला।

उपखण्ड डोईवाला परिक्षेत्र के अन्तर्गत बडकोट रेंज की जाखन–2 नदी में उपखनिज चुगान हेतु (96.50 हे0 आरक्षित वन भूमि, – हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि – हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 96.50 हे0 वन भूमि) का उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील डोईवाला) की दिनांक 04/08/18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री मनि कुरम चौहान उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री मनि कुरम चौहान उपजिलाधिकारी डोईवाला अध्यक्ष।
2– श्री बी०बी० मर्तोलिया उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य।
3– श्री त्रिलोक सिंह राणा सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव।
4– श्री मति सुलोचना पाल बी0डी0सी0 क्षेत्र सुलोचना पाल सदस्य।

उप जिलाधिकारी डोईवाला

क्षेत्र पचायत सदस्य माजरी
विकास खण्ड डोईवाला
देहरादून (उत्तराखण्ड)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि देहरादून प्रभाग के अन्तर्गत बडकोट रेंज की जाखन–2 नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु 96.50 हे0 वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड डोईवाला परिक्षेत्र के अन्तर्गत बडकोट रेंज की जाखन–2 नदी में उपखनिज परियोजना के निर्माण हेतु 136.85 हे0 वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–डोईवाला
जनपद –देहरादून

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–डोईवाला
जनपद– देहरादून

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– जाखन–2 नदी में उपखनिज चुगान।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ————

तहसील डोईवाला, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन प्रभाग के बडकोट रेंज की जाखन–2 नदी में उपखनिज **चुगान परियोजना हेतु** (96.50 है0 आरक्षित वन भूमि, – है0 सिविल सोयम भूमि –है0, वन पंचायत भूमि – है0) **अर्थात कुल 96.50 है0** वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, **पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।**

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ......माजरी ग्रान्ट...... **द्वारा दिनांक** 4/7/18 **को सम्पन्न ग्राम** सभा/ग्राम पंचायत **की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत** करने हेतु विस्तृत चर्चा की **गई। यह कि वन** अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् **आवेदित वन भूमि** में आदिवासी अथवा किसी **गैर आदिवासी का** कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी **ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी** अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/**कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।**

चर्चा के उपरान्त **ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** /**प्रस्ताव पारित किया** गया कि ग्राम ......माजरी ग्रान्ट........ **के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को** परियोजना के निर्माण **हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।**

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत माजरीग्रान्ट
विकास खण्ड डोईवाला देहरादून

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रारुप–30.4

दिनांक 4/7/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत माजरी ग्रांट

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	राना सिंह	रानासिंह
2	अश्वनी खरोला	अश्वनी खरोला
3	धीरज पाल	धीरजपाल
4	राधे पाल	राधेपाल
5	देवेन्द्र सिंह	देवेन्द्र सिंह
6	साहब सिंह	Sahab Singh
7	अनिल कुमार	[illegible]
8	दिनेश कुमार	दिनेशकुमार
9	अवतार सिंह	अवतार सिंह
10	मनीष कुमार	Manish Kumar
11		
12		
13		
14		
15		

प्रधान, ग्राम पंचायत माजरी ग्रांट

ग्राम प्रधान

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– जाखन–2 नदी में उपखनिज चुगान।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम ———
तहसील डोईवाला, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन **प्रभाग के बडकोट रेंज** की जाखन–2 नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (96.50 हे0 आरक्षित वन भूमि, – हे0 सिविल सोयम भूमि –हे0, वन पंचायत भूमि – हे0) अर्थात कुल 96.50 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम विभाग/संस्था **के पक्ष में भारत सरकार**, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ....[illegible].... द्वारा दिनांक 13/07/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत **करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि** में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/**कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा** स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी **अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं** किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु **आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।**

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ....[illegible].... **के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को** परियोजना के निर्माण **हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।**

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 [signature]
ग्राम सचिव
मुहर सहित
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ....
वि0 खण्ड डोईवाला, देहरादून

ग्राम पंचायत [illegible]
ह0 [signature]
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रारुप—30.4

दिनांक 13/07/18 .....को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत रैनापुर ग्रान्ट

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	चन्द्र किशोर शर्मा	चन्द्रकिशोर
2	कुंवर सिंह चौहान	Kuvar Chauhan
3	रामपाल कुकवाली	रामपाल
4	विक्रम सिंह धीमान	Vikram
5	प्रदीप कुमार	प्रदीप
6	शिवदयाल सिंह	शिवदयाल
7	धर्मसिंह पवार	धर्मसिंह
8	धर्मपाल राणा	धर्मपालराणा
9	देशराज सिंह	देशराज
10	ओमप्रकाश पवार	ओमप्रकाश
11	मनोज (उपप्रधान)	
12	सीमा (वार्ड मेम्बर)	सीमा
13	उमासिंह	रामपाल
14	महीपाल राणा	
15	रवि चौहान	[illegible]

प्रधान ग्राम पंचायत रैनापुर ग्रान्ट
ह0 [illegible]
दि0
वि0 ख0 डोईवाला, देहरादून
ग्राम प्रधान

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– जाखन–2 नदी में उपखनिज चुगान।

<u>वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र</u>

ग्राम पंचायत का नाम ————

तहसील डोईवाला, जिला देहरादून

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून **वन प्रभाग के बडकोट रैंज की जाखन–2 नदी में उपखनिज** चुगान परियोजना हेतु (96.50 हे0 आरक्षित वन भूमि, – **हे0 सिविल सोयम भूमि –हे0, वन पंचायत भूमि – हे0)** अर्थात कुल 96.50 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन **विकास निगम विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार,** पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत अठूरवाला .... द्वारा दिनांक 08/07/2018 को सम्पन्न ग्राम **सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी** द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत **करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम**, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि **में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं।** उपस्थित **सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।**

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ......अठूरवाला.................... **के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी** को परियोजना के **निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।**

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/	ह0/–
ग्राम सचिव	ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित	मुहर सहित

ग्राम विकास अधिकारी
विकास खण्ड डोईवाला, देहरादून

प्रारूप–30.4

दिनांक 08/07/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत अखरवाली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	उमेद सिंह मुन्डाणी	
2	घुगलाल	घनलाल
3	हरस्वरूप नेगी	अरुण नेगी
4	जसवन्त सिंह नेगी	J.S. Negi
5	उमेद सिंह नेगी	[illegible]
6	सविता चमोली	Savitra
7	राकेश चमोली	Chamoli
8	धनवन्तरी देवी	धनवन्त
9	प्रेमा देवी	प्रेमा
10	कमलेश प्रसाद	Kamlesh
11	कमलानन्द	[illegible]
12	[illegible]	Priyal
13	चन्द्रकला	चन्द्रकला
14	पितम्बर दत्त	पितम्बर
15		

ह0 / –
ग्राम प्रधान

[illegible]